गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली

फा.सं. NCTE-राज010/1/2023-Raj Bhasha Section-HQ **दिनांक: 13.10.2025**

परिपत्र

विषय:- **परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26 सितंबर, 2025 को संपन्न द्वितीय तिमाही बैठक के कार्यवृत्त (Minutes)।**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.09.2025 को आयोजित द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि संबंधित मदों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विजय राणा

(विंग कमांडर विजय राणा)
उप सचिव (राजभाषा)

अनुलग्नक:- **यथोक्त**।

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी/पश्चिमी/उत्तरी/दक्षिणी क्षेत्रीय समिति), एनसीटीई, द्वारका, नई दिल्ली।
2. समस्त उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी, एनसीटीई, द्वारका, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, एनसीटीई के अनुभाग अधिकारी – सूचनार्थ।
4. सदस्य सचिव, एनसीटीई की अनुभाग अधिकारी – सूचनार्थ।
5. अवर सचिव (आईटी), ई-कार्यालय/सूचना पट्ट पर अपलोड हेतु।

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

National Council for Teacher Education
G- 7, Sector -10, Dwarka , New Delhi

F.No. NCTE- Raj 010/1/2023-Raj Bhasha Section-HQ **Dated: 13.10.2025**

Circular

Subject:- **Minutes of the 2nd Quarterly Official Language Implementation Committee meeting of the Council held on 26th September, 2025.**

A copy of the Minutes of the 2nd Quarterly Official Language Implementation Committee meeting held on 26.09.2025 is being sent herewith for information, compliance and necessary action.

All the officers and employees are requested to carefully observe the related items and ensure necessary action.

(Wg. Cdr. Vijay Rana)
Deputy Secretary (OL)

Enclosed:- **As above.**

Copy:-

1. Regional Directors (ERC, WRC, NRC, SRC), NCTE, Dwarka, New Delhi.
2. All Deputy Secretaries/Under Secretaries/Section Officers, NCTE, Dwarka, New Delhi.
3. SO to CP, NCTE, New Delhi – For information.
4. SO to MS, NCTE, New Delhi – For information.
5. US (IT), for uploading on E-office/Notice Board.

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली

राजभाषा अनुभाग

फा.सं. NCTE-राज010/1/2023-Raj Bhasha Section-HQ **दिनांक: 13.10.2025**

विषय: **दिनांक 26 सितंबर, 2025 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त।**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही की बैठक दिनांक 26.09.2025 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1. प्रोफेसर पंकज अरोड़ा - अध्यक्ष
2. श्री अजय कुमार झा, उप निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय - आमंत्रित अतिथि
3. विंग कमांडर विजय राणा, उप सचिव (राजभाषा/समन्वय) - सदस्य
4. सुश्री पूनम तिवारी शर्मा, उप सचिव (क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्रीय समिति) - सदस्य
5. श्री रविन्द्र सिंह, अवर सचिव (विनियमन/वीआईपी/लेखा) - सदस्य
6. श्री मुकेश कुमार, अवर सचिव (क्षेत्रीय निदेशक-दक्षिणी क्षेत्रीय समिति) - सदस्य
7. श्री सुजीत कुमार सिंह, अवर सचिव (विधिक/आईटी) - सदस्य
8. श्री पवन कुमार बैरागी, अनुभाग अधिकारी (विधिक/पूर्वी क्षेत्रीय समिति) - सदस्य
9. श्री आर सी चोपड़ा, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-2) - सदस्य
10. श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी (अपील/समन्वय) - सदस्य
11. श्री उमेश कुमार, अनुभाग अधिकारी (अध्यक्ष सचिवालय/सोशल मीडिया/वीआईपी) - सदस्य
12. सुश्री जोजियाना लाकरा, अनुभाग अधिकारी (सदस्य सचिव सचिवालय/प्रशा.-1) - सदस्य
13. सुश्री शशि महंत, परामर्शदाता (राजभाषा)

परामर्शदाता (राजभाषा) ने माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उप निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय एवं समिति के सभी सदस्यगणों का औपचारिक स्वागत करते हुए उप सचिव (राजभाषा) से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उप सचिव (राजभाषा) ने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय एवं आमंत्रित राजभाषा विशेषज्ञ, उप निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, श्री अजय कुमार झा का बैठक में अभिनंदन करते हुए, तिमाही के दौरान राजभाषा अनुभाग के प्रमुख कार्यकलापों, विशेषकर हिंदी उत्सव (पखवाड़ा) 2025 के दौरान आयोजित कार्यकलापों और प्रतियोगिताओं का संक्षिप्त उल्लेख किया। तत्पश्चात, उन्होंने दिनांक 25.06.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि का प्रस्ताव रखा, जिसकी सभी सदस्यों द्वारा एकमत से पुष्टि की गई। उन्होंने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परामर्शदाता (राजभाषा) को हिंदी कार्यान्वयन संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए।

बैठक के दौरान, उप निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय ने सर्वप्रथम परिषद द्वारा हिंदी पखवाड़ा को हिंदी उत्सव के रूप में मनाने की सराहना करते हुए कहा कि 'उत्सव' शब्द स्वयं में उत्साह का परिचायक है तथा निश्चित ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह प्रयास अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि सामाजिक हिंदी और कार्यालयी हिंदी में अंतर है और कार्यालयी हिंदी के प्रयोग में हिचकिचाहट को ही दूर करना है। तत्पश्चात, उन्होंने संसदीय

राजभाषा समिति की प्रश्नावली में अपेक्षित विभिन्न मदों की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि उसमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के हिंदी में किए गए कार्य की प्रतिशतता पूछी जाती है, अतः टिप्पणियों एवं पत्राचार में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके एवं जटिल हिंदी नहीं, अपितु सरल, आम बोलचाल की हिंदी लिखकर टिप्पणियों एवं पत्राचार के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। सेवा-पुस्तिकाओं (service books) में टिप्पणियां हिंदी में लिखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राष्ट्रपति जी द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया और साथ ही यह भी बताया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा हिंदी प्रशिक्षण की समयावधि 2025 से बढ़ाकर 2035 कर दी गई है, तो कार्मिक यथास्थिति ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, कार्यालय द्वारा कवि सम्मलेन आयोजित किए जा सकते हैं, हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय का 50% व्यय किया जाना चाहिए तथा निर्धारित जाँच-बिंदुओं का अनिवार्यतः अनुपालन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने उप सचिव (राजभाषा) द्वारा हिंदी उत्सव (पखवाड़ा) 2025 के दौरान आयोजित कार्यकलापों और प्रतियोगिताओं पर चर्चा करते हुए संतोष व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसरण में हिंदी प्रशिक्षण की समयावधि 2025 से बढ़ाकर 2035 करने का निर्णय स्वागत-योग्य है। इससे राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में युवा पीढ़ी जुड़ेगी और अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करेगी तथा इससे निरंतरता बनी रहेगी। हम सबको मिलकर राजभाषा हिंदी की उतरोत्तर वृद्धि की दिशा में सार्थक प्रयास करने हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस बैठक में अन्य विचार-विमर्श के अतिरिक्त, निम्नलिखित निर्णय लिए गएः-

1. **संभावित संसदीय राजभाषा निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए, सभी अनुभागों द्वारा निरीक्षण संबंधित विभिन्न मदों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक कार्य हिंदी में ही किया जाए।**

(कार्रवाईः सभी समिति सदस्य)

2. **संसदीय राजभाषा निरीक्षण संबंधित प्रश्नावली में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों की प्रतिशतता को दर्शाने संबंधित मद को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अधिकाधिक कार्य यथा पत्राचार, ई-ऑफिस में टिप्पणियां लिखना आदि हिंदी में ही करने के प्रयास किए जाएं, ताकि उनके अधीनस्थ कार्मिक भी हिंदी में अपना कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें।**

(कार्रवाईः सभी समिति सदस्य)

3. **हिंदी में मूल पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी कार्यशालाओं में दर्शाई गई तकनीकों का प्रयोग करते हुए पत्र, टिप्पणियां आदि का अनुवाद न कर करके उन्हें सरल हिंदी में ही लिखने के प्रयास किए जाएं।**

(कार्रवाईः सभी समिति सदस्य)

4. **यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारियों एवं प्रभागों द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधित जारी जाँच-बिंदुओं का अनुपालन किया जाए।**

(कार्रवाईः सभी समिति सदस्य)

5. **कार्यालय में सेवा-पुस्तिकाओं (service books) और रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जाएं और उनके शीर्षक द्विभाषी रूप में हों।**

(कार्रवाईः उप सचिव (प्रशा-1) /सभी समिति सदस्य)

उप सचिव (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि 'अनुवादिनी' टूल पर कार्यशाला से बड़ी संख्या में कार्मिक लाभान्वित हुए और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी कार्मिकों की काफी प्रतिभागिता रही। उन्होंने समय-समय पर मार्गदर्शन देने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदया का आभार प्रकट किया और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को बल मिलता है। उन्होंने उप निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय को आश्वस्त किया कि माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

अंत में, परामर्शदाता (राजभाषा) द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उप निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और उनके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत तथा उनको एवं उप सचिव (राजभाषा) एवं समस्त समिति सदस्यगणों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रोफेसर पंकज अरोड़ा)
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

प्रतिलिपिः-

1. सभी सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एनसीटीई, नई दिल्ली।
2. समस्त क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी/पश्चिमी/उत्तरी/दक्षिणी क्षेत्रीय समिति), एनसीटीई, नई दिल्ली।
3. समस्त उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी, एनसीटीई, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली के अनुभाग अधिकारी।
5. सदस्य सचिव, एनसीटीई, नई दिल्ली की अनुभाग अधिकारी।
6. अवर सचिव (आईटी) - सूचना पट्ट/ई-कार्यालय पर अपलोड करने हेतु।